बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–29.11.2017 को पूर्वा0 10:30 बजे भू–अर्जन निदेशालय की कार्यों की समीक्षा से संबंधित कार्यवाही।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निदेशक, भू–अर्जन, बिहार द्वारा दिनांक–10.08.2017 एवं 11.08.2017 को राज्यस्तरीय जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के बैठक की कार्यवाही के विभिन्न कंडिकाओं के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त बैठक की कार्यवाही के विभिन्न कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित जिलों द्वारा काफी धीमी गति से किये जाने के कारण विभागीय पदाधिकारियों को इस संबंध में निम्न निदेश दिये जाते है :–

(1.) विभागीय पोर्टल पर मुआवजा भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं निदेश दिया गया कि जिन जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिवेदन नहीं डाला जा रहा है, उन्हें चिन्हित करते हुए स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय।

(2.) जिन जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों द्वारा मुआवजा भुगतान की राशि शून्य प्रतिवेदित किया गया है, उनकी पहचान कर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय।

इसके अतिरिक्त जिन भू–अर्जन पदाधिकारियों द्वारा मुआवजा भुगतान काफी धीमी गति किया जा रहा है। उन्हें भी चिन्हित करते हुए इसके औचित्य के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(3.) विभिन्न परियोजना हेतु अर्जित भूमि की दाखिल खारिज की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाईन पोर्टल पर अविलम्ब किया जाय।

(4.) विभिन्न भू–अर्जन परियोजना हेतु प्राप्त की गयी स्थापना व्यय की राशि एवं विगत 25 साल लागन की राशि को राजस्व से संबंधित में जमा किये जाने के संबंध जिला स्तर से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5.) भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा के क्रम में यहा परिलक्षित हुआ विगत कुछ माह मुआवजा भुगतान की काफी धीमी है। संबंधित जिलों के समाहर्त्ता मुआवजा भुगतान की धीमी गति की समीक्षा कर त्वरित गति से मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(6.) मधुबनी जिलान्तंगत जयनगर–वंदीवास रेल परियोजना हेतु अर्जनाधीन भूमि से संबंधित भू–अर्जन की प्रगति की समीक्षा की गयी है। समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ की उक्त परियोजना हेतु भू–अर्जन संबधित अधिघोषण प्रकाशन की कार्रवाई अभी तक लम्बित है। विदित हो कि इस परियोजना की समीक्षा विदेश मंत्रालय एवं शीर्षस्थ स्तर पर की जा रही है। इस संबंध में निदेश दिया

जाता है कि समाहर्त्ता, मधुबनी इस हेतु व्यक्ति रूप ध्यान देकर उक्त परियोजना हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई त्वरित गति से करायेंगे।

(7.) दिनांक–10.08.2017 एवं 11.08.2017 को राज्यस्तरीय बैठक में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय में सरकार के विरूद्ध दायर विभिन्न सी0डब्लू0जे0सी0/एल0पी0ए0, इत्यादि के सभी मामलों में प्रतिशपथ–पत्र दायर करने तथा इसकी सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराने के साथ–साथ विभागीय पोर्टल पर भी प्रविष्टि अपडेट करने का भी निदेश दिया था। परन्तु उसका अनुपालन काफी धीमी गति से हो रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय में सरकार के विरूद्ध दायर विभिन्न सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0/एल0पी0ए0, इत्यादि के वर्ष 2016 तक के सभी मामलों में प्रतिशपथ–पत्र दायर करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने के साथ–साथ विभागीय पोर्टल पर भी इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

(8.) उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है :–

(i) S.I.A- वर्तमान में S.I.A कार्य हेतु राज्यस्तर पर तीन संस्था नामित है। इस कार्य हेतु अन्य संस्थाओं को नामित करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार हेतु संचिका अगली समीक्षात्मक बैठक में उपस्थापित किया जाय।

(ii) RFCTLARR ACT,2013 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में विधि विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी थी जिससे संबंधित विभागीय मंतव्य विधि विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। प्रस्तावित संशोधन पर मंजूरी के संबंध में भारत सरकार के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित किया जाय।

(iii) N.H.A.I से संबधित भू–अर्जन परियोजना की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में निम्न बिन्दु परिलक्षित हुआ :–

(क) N.H.A.I से संबंधित कतिपय भू–अर्जन परियोजनाओं की प्राक्कलित राशि की स्वीकृति अबतक अप्राप्त है।

(ख) N.H.A.I की कतिपय भू–अर्जन परियोजना से संबंधित Bank Account Reconcilation से संबंधित कार्य "CALA" स्तर पर लम्बित है जिसके कारण मुआवजा भुगतान की कार्रवाई नहीं हो पा रही हैं। सभी संबंधित "CALA" इससे संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–05.11.2017 को आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

(iv) N.H.A.I के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पटना द्वारा समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर से N.H.-77 से संबंधित मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत 26 ग्रामों के अन्तिम प्राक्कलन के अनुमोदन के संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है। पृच्छा के मुख्य बिन्दु छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में भूमि के

स्वरूप में बार–बार परिर्वतन से संबंधित है। इस संबंध में "CALA" समाहर्त्ता के माध्यम से स्पष्ट प्रतिवेदन N.H.A.I एवं विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(v) कैमूर जिलान्तर्गत N.H.-2 के Six lane चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि से संबंधित प्राक्कलन स्वीकृति के संबंध में N.H.A.I द्वारा कतिपय पृच्छा की गयी है। पृच्छा के मुख्य बिन्दु भूमि की प्रकृति में परिवर्तन किये जाने से संबधित है। इसके संबंध में "CALA" दिनांक–05.11.2017 को आयोजित बैठक में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

(vi) EDFCC (Easterm Dedicated Freight Corridor) के लिए औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर जिलें में किये जा रहे भू–अर्जन की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ है कि गया एवं औरंगाबाद जिलों में मुआवजा भुगतान की गति काफी धीमी है।

(vii) इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया अपना प्रतिवेदन दिनांक–05.11.2017 को आयोजित बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

(viii) औरंगाबाद जिलें में सोननगर से बगहा विष्णुपुर खण्ड में 4.5 हे0 निजी भूमि से संबंधित मुआवआ भुगतान लम्बित है एवं 5.5 हे0 गैरमजरूआ मालिक, भूमि जिसे सरकारी घोषित किया गया है, के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई लम्बित है। साथ ही सोननगर से चिरैयापातुल खण्ड के चार राजस्व ग्रामों में "पंचाट" घोषणा की कार्रवाई लम्बित है तथा 1 हे0 गैरमजरूआ मालिक भूमि जिसे सरकारी घोषित किया गया है के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई लम्बित है। उक्त के अतिरिक्त पिपरा ग्राम में प्रभावित भू–धारियों को पुनर्वासित करने की कार्रवाई लम्बित रहने के कारण दखल कब्जा अभीतब नहीं दिया जा सका है। इसके अतिरिक्त खांडा एवं शाहपुर गांव में भी मुआवजा भुगतान लम्बित है।

विदित हो कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी शीर्षस्थ स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। अतः इस संबंध में विलम्ब के कारणों के साथ अबतक हुई प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद दिनांक–05.11.2017 को आयोजित बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

(ix) बैठक में एस0एस0बी0 से संबंधित भू–अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि भू–अर्जन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है, संबंधित जिलों के समाहर्त्ता इसकी समीक्षा कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया जाता है।

ह0/–

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि.भू.अ.पदा.कार्यवाही)–08/17– पटना, दिनांक–.....2017

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्ता,/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

ह0/–

सहायक निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि.भू.अ.पदा.कार्यवाही)–08/17– पटना, दिनांक–.....2017

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सहायक निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि.भू.अ.पदा.कार्यवाही)–08/17– पटना, दिनांक–.....2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सहायक निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि.भू.अ.पदा.कार्यवाही)–08/17–1543/पटना, दिनांक–30-11-2017

प्रतिलिपिः–आई.टी. मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।